सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 71/2017

1. राजकुमार पुत्र टेकचन्द जाति जाट निवासी 28 पीबीएन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. रामजस पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी 11टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. बलराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी 11टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. देवीलाल पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. रामप्रताप पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. हेतराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. रामाकुमार पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. कृष्णलाल पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. चावलीदेवी पुत्री खींयाराम पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी रामावाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. इन्द्राज पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. प्रेमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. रीटा उर्फ रीतू पुत्री इन्द्राज पत्नी राजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 जे.डब्ल्यू. जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
12. डूंगरराम पुत्र गोधूराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. तीजा पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
14. वीद्या पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
15. संतो पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
16. गंगोदेवी पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
17. बख्तावरी पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
18. हनुमान पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

19. मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
20. चन्द्रकला पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री सुशील बिश्नोई अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री तेजा सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3,13,19,17,20
3.श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04

:: आदेश :: दिनांक :– 21.01.2019

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 जसराम व बलराम पिसरान मनफूल द्वारा अपने अधिवक्ता की मार्फत दावा बाबत् खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चक 11 टी.के.डब्ल्यू. की खतौनी संख्या 23/22 प0न0 40/211, मु0न0 51 के 5.060 हैक्टर, प0न0 39/212 मु.न. 63 के किला नम्बर 20,11 सालम, प0न0 40/212 मु0न0 64 के किला नम्बर 1 ता 25 का 5.755 हैक्टर , प0न0 41/212, मु0न0 65 के किला नम्बर 1 ता 25 का 6.325 हैक्टर, पं0न0 41/213 मु.न. 67 6.325 हैक्टर, पं.नं0 40/213 मु0न0 68 का किला नम्बर 1 ता 15 का 3.453 हैक्टर, पं0न0 39/213 मु0न0 69 का किला नम्बर 1,10,11 कुल 0.759 हैक्टर कुल तादादी 28.183 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण के नाम 6.400 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 7.590 हैक्टर दर्ज है, रकबा जद्दी जायदाद है जो विरासतन किशनाराम व गोधूराम के वारिसान को प्राप्त हुआ है। इस भूमि में से उनके हिस्सा में मु0न0 67 का 6.325 हैक्टर, मु0न0 65 का किला नम्बर 21 ता 25 कुल 6.400 हैक्टर , वादी संख्या 1 तथा मु0न0 51 का 1.265 हैक्टर, मु0न0 65 का 5.060 हैक्टर में से किला नम्बर 21 ता 25 1.190 हैक्टर कुल 7.590 हैक्टर, वादी संख्या 02 के हिस्से में चला आ रहा है। अतः यह विभाजन करवाकर रकबा पाने का हकदार है। उपरोक्त प्रकरण मुकदमा 169/2012 पर दर्ज किया जाकर तलबी की गई परन्तु अपीलाण्ट के नाम से कोई सम्मन वादी द्वारा जारी नहीं करवाये गये और ना ही अपीलाण्ट को शुरू के दावा में इस मुकदमा में प्रतिवादी के नाम से जारी किया गया तथा यकतरफा तौर पर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.06.2017 को जारी की गई तथा तहसीलदार से विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया गया क्योंकि दौराने मुकदमा खिंयाराम का देहांत हो चुका था, अतः उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लाया गया व सरस्वती पुत्री खिंयाराम का देहांत होने से उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लाया गया जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 8 है जिन्होने काउण्टर क्लेम पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से प्रस्ताव मंगवाकर यकतरफा तौर पर ही दिनांक 21.07.2017 को फाईनल डिक्री पारित कर दी एवं डिक्री में संशोधन का आदेश भी पारित किया गया जबकि पटवारी व गिरदावर से तहसीलदार के मार्फत आए प्रस्ताव में अपीलाण्ट के नाम से 3.02 बीघा रकबा का मालिक था और चालू जमाबन्दी के अनुसार उक्त रकबा अपीलाण्ट द्वारा कार्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला को इंतकाल नम्बर 719 दिनांक 28.02.2016 के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जरिये 0.763 हैक्टेयर रकबा रहननामा बैंक के पक्ष में रखा हुआ था जो आज भी बैंक में बंधक है। उक्त विभाजनशुदा रकबा भिन्न–भिन्न काश्तकारों द्वारा भिन्न भिन्न बैंको के बंधक रखा हुआ चला आ रहा है जो आज भी बंधक है। दिनांक 21.06.2017 को श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने प्रकरण सख्या 169/2012 अनवानी रामजस आदि बनाम खींयाराम (फौत) देवीलाल आदि के प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करते वक्त यह स्पष्ट तौर से अपने आदेश में अंकित किया था कि मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति एवं वर्णित रकबे पर बैंक ऋण के सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दिनांक 19.07.2017 को पत्र कमांकःभू0अ0/17/2696 दिनांक 19.07.2017 में केवलमात्र बलराम पुत्र मनफूल व देवीलाल पुत्र खींयाराम के हिस्से का रहन होना अंकित किया है जबकि इस विभाजन होने वाले तमाम रकबे के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा रिपोर्ट चाही गई थी जो नहीं भिजवाई गई। फाईनल डिक्री जानी होने से पूर्व फर्द अहकाम के अनुसार अपीलाण्ट की ओर से प्रथम बार बिना नोटिस के दिनांक 09.06.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री राजेश कुमार एडवोकेट सादुलशहर द्वारा अपीलाण्ट के फर्जी कूटरचित हस्ताक्षर करके वकालतनामा के साथ ही अपीलाण्ट की ओर से फर्जी कूटरचित इकबाल जवाबदावा मय हलफनामा अपीलाण्ट के फर्जी हस्ताक्षरो से उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 09.06.20017 की फर्द अहकाम में उल्लेख है। इस प्रकार फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के सम्बन्ध में फौजदारी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है और अपीलाण्ट की ओर से अलग से भी इस सम्बन्ध में चाराजोही की जा रही है। मौके पर राजस्व रिकार्ड के मुताबिक अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट आज दिन तक काबिज चले आ रहे है जिनसे इस फर्जी व कूटरचित प्राप्त निर्णय व डिक्री के मुताबिक करवाए गए इंतकाल से कब्जा हासिल करना चाहते है। उपरोक्त आदेश तहसीलदार सादुलशहर कमांक 766 दिनांक 18.08.2017 जिसकी रूह से भूमि विभाजन की स्वीकृति गलत व एकतरफा व धोखाधडी व कूटरचित इकबाल जवाब दावा व शपथ पत्र में पारित किये गये निर्णय व डिक्री से स्वीकृत इंतकाल को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त करने का हुक्म दिया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी को रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगाई गई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित नहीं।

अधिवक्ता रेस्पोडण्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपील तहसीलदार के इन्तकाल दर्ज करने के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है, जबकि तहसीलदार का कोई आदेश नहीं है। तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादूलशहर के निर्णय व अन्तिम डिग्री दिनांक 21.08.2017 व 17.08.2017 की पालना में इंतकाल दर्ज किया गया है। पालना में दर्ज किये गये आदेश नामान्तरकरण स्वीकृति अपीलेबल नहीं है, इसलिए अपील काबिले खारिजी है। उक्त अपील में तहसीलदार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया। जब स्वंय पीठासीन अधिकारी की हैसियत से तहसीलदार इंतकाल के बारे में निर्णय करने का आदेश देता है तब अपील न्यायालय हाजा में होती है। हस्तगत केस में उपखण्ड अधिकारी सादूलशहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 प्रारम्भिक डिक्री 21.07.2017 व फाईनल डिक्री दिनांक 17.08.

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2017 को संशोधित डिक्री जारी की गयी है उसकी पालना में इंतकाल किया गया है। इसलिए अपील मेन्टेबल नहीं होने के कारण अपील कानूनी बिन्दु पर ही काबिले खारिजी है। अतः उक्त अपील मेन्टेबल नही होने के कारण व तहसीलदार का आदेश अपीलेबल नहीं होने के कारण अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अपील तहसीलदार के इन्तकाल दर्ज करने के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है, जबकि तहसीलदार का कोई आदेश नहीं है। तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादूलशहर के निर्णय व डिग्री दिनांक 21.07.2017 व 17.08.2017 को भूमि की डिग्री की है उस अन्तिम डिग्री की पालना में इंतकाल दर्ज किया गया है। उक्त अपील में तहसीलदार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया, जब तक तहसीलदार इंतकाल के बारे में निर्णय करने का आदेश देता है तब अपील लाय करती है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादूलशहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 प्रारम्भिक डिक्री 21.07.2017 व फाईनल डिक्री दिनांक 17.08.2017 को संशोधित डिक्री जारी की गयी है, की पालना में भरे गये इंतकाल को बिना कोई दखल किये बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/1/19

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर